उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या- 61/सीपी 592/84-2-2014-सीपी 3/2011
लखनऊ : दिनांक : 11 जुलाई ,2014

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री बिप्लव कुमार पुत्र श्री क्रन्ति कुमार, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, कस्बा- बांसी, पोस्ट-बांसी, जिला सिद्धार्थनगर की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 221/84-2-2011-सीपी 3/2011, दिनांक 10 मई, 2011 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी। श्री बिप्लव कुमार द्वारा अपने पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-791/एससीडीआरसी/अधि 79/11, दिनांक 05 जून, 2014 द्वारा श्री बिप्लव कुमार, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच के पत्र दिनांक 04 जून, 2014 की मूल प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि श्री बिप्लव कुमार द्वारा अपने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के दृष्टिगत त्यागपत्र देकर दिनांक 15 मई, 2014 से स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। निबन्धक, राज्य आयोग द्वारा भी श्री बिप्लव कुमार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच का त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद से श्री बिप्लव कुमार द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 15 मई, 2014 की पूर्वान्ह से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

बी0 एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-61/सीपी 592(1)/84-2-2014, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, बहराइच ।
(3) कोषाधिकारी, बहराइच ।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री बिप्लव कुमार पुत्र श्री क्रन्ति कुमार, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, कस्बा- बांसी, पोस्ट-बांसी, जिला सिद्धार्थनगर।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in